संख्या-169/2016/1839जेएल/22-3-16-800(78)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी बालेश्वर तिवारी पुत्र श्री राजमणि तिवारी, निवासी-ग्राम-संडारी, मजरे खजुरनी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-प्रतापगढ़ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी बालेश्वर तिवारी पुत्र श्री राजमणि तिवारी, निवासी-ग्राम-संडारी, मजरे खजुरनी, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-प्रतापगढ़ को शासनादेश संख्या-102/2016/122जेएल/22-3-16-800(78)/2015, दिनांक 18-03-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-169/2016/1839जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद। **(फैक्स नं0-0532-2697215)**
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in